

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4-7-79
में विचारणीय विषयों की सूची

- : 0 : -

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ
1-	विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-4-79 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	- 1
2-	दिनांक 28-4-79 में लिये गये निर्णयों के क्रम में अनुपालन आख्या ।	- 2
3-	विभिन्न योजनाओं का प्रगति विवरण ।	- 6
4-	नेहरू नगर, अम्बेदकर नगर तथा इन्दूपुरी आदि के विस्थापितों को 600 वर्गफुट भूमि पर भवनचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।	- 10
5-	तालकटोरा रोड पर स्थित भूखण्ड सं०-4 का लखनऊ महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन एवं तत्सम्बन्धी विषय पर नीति निर्धारण के सम्बन्ध में ।	- 11
6-	लखनऊ विकास प्राधिकरण में पारित प्रस्ताव संख्या-1 दिनांक 30-11-78, नजूल संबंधी मामलों पर मनोनीत उपसमिति की एक बैठक जो उपाध्यक्ष महोदय के कक्ष में दिनांक 6-2-79 को हुई, की बैठक की कार्यवाही ।	- 13
7-	नवयुग कन्या विद्यालय, राजेन्द्र नगर को भूमि आवण्टन के सम्बन्ध में ।	- 16
8-	प्राधिकरण के अधिकारियों को वाहनों के व्यक्तिगत प्रयोग में लाने की अनुमति के सम्बन्ध में ।	- 17
9-	श्री भार्गव द्वारा क्रय किये गये भूखण्ड के प्रीमियम में 50% छूट का आवेदन ।	- 19
10-	लखनऊ के विभिन्न पार्कों में ओपेन-एयर रेस्तराँ के लिये स्पेस स्थल का आवण्टन ।	- 20
11-	तीन वर्ष से अधिक दैनिक वेतन पर कार्यरत ड्राफ्टमैन एवं ट्रेसर की रेगुलर नियुक्ति के सम्बन्ध में ।	- 21
12-	लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं के लिये भवनों एवं भूखण्डों हेतु "हडको" से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।	- 22
13-	हाता रसूल खाँ योजना में उत्तर प्रदेश जल निगम को जलाशय के निर्माण हेतु भूमि का दिया जाना ।	- 23
14-	अलीगंज योजना में लीज रेण्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में ।	- 25

क्रमशः - - - "खा"

- 15- प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं/वास्तुविदों/नियोजकों को पोस्ट ग्रेजुएट एलाउन्स दिया जाना । - 27
- 16-1 शहर के मध्य विभिन्न स्थलों पर प्रस्तावित योजना हेतु भूमि का अर्जन - 30
- 2-मोतीझील आवास योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अर्जित करने की अनुमति एवं नामकरण - 31
- 3-गोमती आवास योजना - 32
- 4-सिल्वर जुबल हेल्थ स्कूल के पीछे खाली पड़े भूखण्ड पर आवासीय योजना । - 33
- 5-ए0पी0सेन रोड स्थित मैया चारबाग योजना के नजूल भूखण्ड सं0-4 पर आवासीय योजना । - 34
- 6-अलीगंज सब्जी मण्डी योजना - 35
- 7-जनपथ मार्केट योजना - 36
- 8-कान्यकुब्ज कालेज के सामने की भूमि पर विकास योजना । - 37
- 17- अहाता रानी साहिबा गन्दी बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत श्री सट्टक पंचायत की भूमि अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में । - 38
- 18- लखनऊ विकास प्राधिकरण के भवनों के किराये की बैंक द्वारा वसूली - 41
- 19- मोतीझील आवास योजना में प्रस्तावित 264 अल्प आय वर्ग के भवनों में से 60 के निर्माण के सम्बन्ध में जध्यक की अनुमति की पुष्टि । - 42
- 20- अभियन्त्रण खण्डों के लिये चार जीपी का क्रय एवं उनके ड्राइवरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में । - 43
- 21- प्राधिकरण के कर्मचारियों के भविष्यनिधि के पुराने लेखों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में - 44
- 22- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गठित उपसमिति के निर्देश शमन्शुल्क सम्बन्धी लागू किये जाने के सम्बन्ध में । - 45-48

- : 0 : -

दीक्षित/-

विषय - 1

पृष्ठ - 1

विकास प्राधिकरण की बैठक

दिनांक 28-4-79 के कार्यवृत्त

का पृष्ठिकरण ।

- : 0 : -

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-4-79 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या

क्रम संख्या	विषय	कृत कार्यवाही
-------------	------	---------------

विषय संख्या-1 : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17-3-79 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

पारित प्रस्ताव : दिनांक 17-3-79 की बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण निम्न दो संशोधनों के साथ किया गया :-

नवद्वारा सम्बन्धी प्रस्ताव को निम्न प्रकार पढ़ा गया :-

"नवद्वारा बाजार की नई इकनामिक्स जिसमें 96 वर्गफुट की दुकानों के लिये ₹ 5000/- तथा 100/- रुपये किराया तथा 135 वर्गफुट की दुकानों के लिये ₹ 6000/- प्रीमियम तथा 150/- रुपये किराया अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि विस्थापितों को उपरोक्त किराये एवं प्रीमियम पर दुकाने आफर की जायें ।"

नोट किया गया ।

1-2 उद्दान सम्बन्धी अतिरिक्त स्टाफ के प्रस्ताव को निम्न प्रकार पढ़ा गया :-

"उपरोक्त विषयक आख्या का अनुमोदन करते हुये दस भाली तथा दो हेड मालियों के पदों के सृजन की अनुमति दी गई तथा शेष पदों के सम्बन्ध में स्टाफ उपसमिति निर्णय ले । यह भी निर्देश दिया गया कि उपाध्यक्ष नगर के समस्त पार्कों के रखरखाव के बारे में पूरी स्थिति का अध्ययन कर आख्या प्रस्तुत करें कि महापालिका तथा विकास प्राधिकरण के बीच पार्कों का कार्य-विभाजन किस प्रकार किया जाय ?

उपसमिति की बैठक दिनांक 17-5-79 को हुई थी । अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायगा ।

विषय संख्या-2 : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17-3-79 की अनुपालन आख्या ।

पारित प्रस्ताव : अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि पिछली बैठकों के अनिर्णीत विषयों को अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

नोट किया गया । इस बैठक में प्रस्तुत है ।

1	2	3
---	---	---

विषय संख्या-3 : वित्तीय वर्ष 1979-80 के मूल बजट पर विचार ।

पारित प्रस्ताव : बजट पारित किया गया ।

नोट किया गया ।

विषय संख्या-4 : छितवापुर बावसायिक केन्द्र के लिये आर्कीटेक्चरल डिजाइन आदि के लिये प्रतियोगिता ।

पारित प्रस्ताव : अग्रेसर कार्यवाही के लिये एक उपसमिति का गठन किया गया जिसमें सचिव, आवास एवं नगर विकास, उत्तर प्रदेश, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम, सदस्य, एवं मुख्य ग्राम एवं नगर निरीक्षक होंगे । यह समिति केन्द्र के निर्माण हेतु टेण्डर जारी करने तक का आवश्यक निर्णय लेगी तथा आर्कीटेक्चर के पर्यवेक्षण पर आवश्यक रिपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

इस समिति की एक बैठक हो चुकी है । आगे की कार्यवाही की जा रही है ।

विषय संख्या-5 : हाता रसूल खाँ योजना की आख्या ।

पारित प्रस्ताव : निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी और उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण हाता रसूल खाँ स्थल का निरीक्षण करके रिपोर्ट दें ।

विषय इस बैठक में प्रस्तुत है ।

विषय संख्या-6 : सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी तथा स्टोर्स एवं परचेज अधिकारी, जन सम्पर्क अधिकारी के पद का सृजन ।

पारित प्रस्ताव : स्टोर्स परचेज अधिकारी का पद वेतनक्रम 800-1450 में फिलहाल एक वर्ष के लिये सृजित किया गया । इस बीच उपसमिति इस पर विचार कर अन्तिम संस्तुति प्रस्तुत करेगी । अन्य दो पदों का सृजन का विषय स्टाफ उपसमिति को सन्दर्भित किया गया ।

उपसमिति द्वारा रिपोर्ट अन्तिम की जा रही है ।

विषय संख्या 7 : अज्ञात

1	2	3
<u>विषय संख्या-7</u> :	कामरिथिल एकाउण्टिंग लागू करने के लिये दो कास्ट अलिस्टेण्ट के पदों का सृजन ।	
<u>पारित प्रस्ताव</u> :	इस विषय को स्टाफ उपसमिति को निर्णय हेतु सन्दर्भित किया गया ।	उपसमिति द्वारा रिपोर्ट अन्तिम की जा रही है ।
<u>विषय संख्या-8</u> :	अलीगंज योजना में चतुर्थ भाग में 25 एम0आई0जी0 भवनों का निर्माण, विजली, सेनिटरी तथा वाटर सप्लाय सहित ।	
<u>पारित प्रस्ताव</u> :	रू0 10,24,920-52 पै0 की निविदा की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई ।	नोट किया गया ।
<u>विषय संख्या-9</u> :	हजरतगंज पुराने ढाकड़ाने में त्रिलोकनाथ रोड के समान्तर शो-रूम-कम-आफिस ब्लॉक के दो-मंजिल भवन का निर्माण ।	
<u>पारित प्रस्ताव</u> :	रू0 10,07,583/- की धनराशि की निविदा की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई ।	नोट किया गया ।
<u>विषय संख्या-10</u> :	डा0 जय शंकर टण्डन की भूमि अर्जन सम्बन्धी विषय ।	
<u>पारित प्रस्ताव</u> :	निर्णय लिया गया कि डा0 टण्डन की भूमि अर्जन से मुक्त न की जावे, परन्तु उन्हें अलीगंज योजना में ही उपलब्ध ले-आउट के अनुसार उपयुक्त आकार का एक प्लॉट नियमानुसार आवण्टित किया जावे ।	तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।
<u>विषय संख्या-11</u> :	बजट की अतिरिक्त सूचना ।	
<u>पारित प्रस्ताव</u> :	विषय संख्या 3 के साथ इस पर विचार हो चुका है ।	विचार हो चुका है ।
<u>विषय संख्या-12</u> :	विषय संख्या 4 के सम्बन्ध में आकीडिक्वरल डिज़ायन तथा संक्षिप्त विवरण ।	
<u>पारित प्रस्ताव</u> :	विषय संख्या-4 के साथ विचार हो चुका है ।	विचार हो चुका है ।

1

2

3

विषय संख्या- 13 : अल्प आय वर्ग के मकान सम्बन्धी आख्या ।

पारित प्रस्ताव : निर्णय जिया गया कि अल्प आय वर्ग के मकानों की कीमत में कमी करने के लिये कम प्लॉट एरिया तथा यदि आवश्यक हो तो रियर सेट बैक पर निर्माण की अनुमति सिद्धान्ततः दी जाय ।

नोट किया गया ।

- : 0 : -

रमेश/-

- 1- विकास प्राधिकरण द्वारा 15-6-79 तक रु 89.10 लाख का व्यय तथा रु 51.85 लाख की आय की गई है {ब्योरा सैलमन है} योजनावार प्रगति इस प्रकार है :-

योजनायें :

- 2.1 निर्माण कार्यों में अलीगंज आवास योजना में 20 एच0आई0जी0 50 एल0आई0जी0 तथा 66 एक कमरे के मकान, जिनके लिये स्थान उपलब्ध है, 30 जून, 1979 से आरम्भ कर दिये जायेंगे ।
- 2.2 100 मध्य आय वर्ग भवनों में 25 भवन एक मंजिले अगस्त, 1979 में पूरे किये जायेंगे तथा शेष 50 पर कार्य अभी-अभी आरम्भ किया गया है । शेष 25 भवनों पर भी जुलाई के प्रथम सप्ताह में कार्य आरम्भ कर दिया जायगा । दो-मंजिले भवनों में 72 पर कार्य चल रहा है तथा शेष 24 पर भी शीघ्र कार्य आरम्भ कराया जायगा ।
- 2.3 शेष भवन और साइट ऐण्ड सर्विसिज़ के प्लाट्स अलीगंज योजना के द्वितीय चरण में प्रस्तावित हैं । द्वितीय चरण के पूरे 232 एकड़ का सर्वे पूर्ण हो चुका है तथा ले-आउट प्लान तैयार है । शीघ्र ही 800 साइट ऐण्ड सर्विसिज़ तथा शेष भवनों का कार्य शुरू कर दिया जायगा ।
- 2.4 कानपुर रोड योजना में ट्रान्सपोर्ट नगर में कार्य प्रगति पर है तथा आवासीय कालोनी का ले-आउट तैयार किया जा रहा है ।
- 2.5 मोतीझील आवास योजना में 60 एल0आई0जी0 भवनों का कार्य शुरू कर दिया गया है अन्य 120 पर कार्य प्रगति पर है । 157 साइट ऐण्ड सर्विसिज़ के प्लाट्स तथा 128 ई0डब्ल्यू0एस0 के मकानों पर कार्य प्रगति पर है । शेष भूमि का ले-आउट तैयार है तथा शीघ्र कार्य कराया जायगा ।

3- अन्य योजनायें :

- 3.1 अहाता रसूल खाँ के विषय में आख्या इसी बैठक में प्रस्तुत है ।
- 3.2 अहाता लक्ष्मन दास तथा अहाता सरजू प्रसाद पर कार्य शुरू करा दिया गया है ।

3.3 ऐशबाग भट्टे के पास स्कीम का ले-आउट तैयार है । साथ ही शहर के भीतर कई योजनाओं के अर्जन हेतु प्रस्ताव इस बैठक में प्रस्तुत है । अन्य स्थलों का निरीक्षण कराया जा रहा है । पुराने योजनाओं में उपलब्ध छोटे-छोटे भूखण्डों पर साइट ऐण्ड सर्विसिज़ के प्लाट बनाये जायेंगे ।

4-ब्यवसायिक योजनायें :

4.1 जनपथ एवं सिण्डर्स डम्प योजना पर कार्य प्रगति पर है । प्राधिकरण की नयी कालोनियों में जगह-जगह पर 20 कियास्क का निर्माण हो चुका है एवं अन्य का किया जा रहा है ।

4.2 आर0टी0ओ0 ब्यवसायिक केन्द्र के अर्जन की कार्यवाही शासन के विवाराधीन है ।

4.3 छितवापुर ब्यवसायिक केन्द्र के विषय में प्राधिकरण द्वारा गठित उपसमिति आगे की कार्यवाही कर रही है ।

5- आय पक्ष में कुल रू0 51.85 लाख की आय 15-6-1979 तक हुई है । आय कम होने का कारण कैपिटल इनकम जो "हडको", डिबेन्चर्स, आई0यू0डी0पी0 से आनी है, अभी प्राप्त नहीं हुई है । हडको से ऋण प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र भेजे जा रहे हैं तथा डिबेन्चर्स आवश्यक-तानुसार फ्लोट किये जायेंगे । दूसरे भवनों/प्लाट आदि से आय उनके निर्माण के बाद ही प्राप्त होगी । राजस्व आय के सम्बन्ध में अगले दो माह का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है तथा अधिकतम आय प्राप्त की जायगी ।

6- सभी तक योजनाओं में वांछित प्रगति नहीं आ पायी है क्योंकि ले-आउट, आगणन तैयार करने, टेण्डर आमन्त्रित करने तथा कार्य शुरु करने में समय लग रहा है ।

7- सभी कार्यों के समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर लिये गये हैं तथा प्रगति में तेजी आयेगी ।

- : 0 : -

₹ रुपये लाखों में

योजनाओं का प्रगति विवरण ₹ जून 15, 1979 तक

पृष्ठ -8

क्रम सं०	योजना का नाम	भूमि अर्जन		भूमि विकास			भवन निर्माण		
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत
1-	कानपुर रोड योजना	120	-	66	7.40	11.21%	33.50	-	-
2-	अलीगंज योजना	60	-	122	12.07	9.89%	167.55	17.63	10.52
3-	अन्य योजनायें	40	-	35	0.47	1.34%	21.50	-	-
4-	नैपियर रोड भाग-3	-	-	-	-	-	-	-	-
5-	मोतीझील	-	-	-	-	-	-	-	-
6-	पेपरमिल कालोनी	-	-	-	-	-	37.00	2.24	6.05
7-	विकास की पूर्ण योजनायें	-	-	-	-	-	8.00	0.08	0.10
8-	कामर्सियल काम्पलेक्स :	-	-	26.71	6.20	23.21%	-	-	-
११	ओल्ड पोस्ट आफिस	-	-	-	-	-	-	-	-
१२	नक्कास	-	-	10	2.74	27.40%	-	-	-
१३	आर०टी०ओ० काम्पलेक्स	-	-	2	0.37	18.50%	-	-	-
१४	छितवापुर	-	-	20	-	-	-	-	-
१५	सिण्डर्स डम्प	-	-	20	0.18	0.09%	-	-	-
१६	अलीगंज योजना	-	-	5	0.65	13%	-	-	-
१७	अन्य योजनायें	-	-	15	0.01	-	-	-	-
9-	मलिन बस्ती सुधार योजना	-	-	8	-	-	-	-	-
10-	मलिन बस्ती निपातन योजना	-	-	35.39	1.63	4.60	-	-	-
	योग :	220	-	365.10	31.72	8.6	267.55	19.95	7.45

कुल बजट प्राविधान : 852.65

विकास + निर्माण + काम्पलेक्स : 632.65

कुल उपलब्धियाँ : 51.67

दीक्षित/-

योजनाओं का प्रगति विवरण १५ जून, 1979

आय-पक्ष

मद	लक्ष्य	प्राप्ति
1- सामान्य आय	34.245	2.75
2- भूमि की विक्री से आय	147.67	24.17
3- भवनों की विक्री से आय	78.42	6.22
4- दुकानों का प्रीमियम तथा किराया	26.66	16.15
5- अन्य आय	4.10	2.58
6- ऋण/अनुदान	508.87	---
योग -	799.96	51.85

दीक्षित/-

विषय:- नेहरु नगर .अम्बेडकर नगर तथा इन्द्रपुरी आदि वस्तियों के 600 वर्ग फुट क्षेत्र पर भावल चित्रों की स्वीकृति के संबंध में ।

उक्त संबंध में तत्काल विकास प्राधिकरण की बैठक दि० 10-10-77 में यह निर्णय लिया गया था कि :-

1- इस क्षेत्र का फिजकल सर्वे किया जाये ।

2- जो भावल स्थल पर निर्मित है उनमें से कितनों के आर०वी०ओ० एक्ट का उल्लंघन किया है इनकी विस्तृत लिस्ट बनायी जाये ।

3- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के परामर्श से इस संबंध में एक संस्तुति प्रस्तुत की जाये कि झुंडों में निर्मित भावलों को या भाविष्य में होने वाले निर्माण को किस प्रकार से नियमित किया जाए तत्पश्चात यह विषय स्पष्ट आख्या सहित विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

1- क्षेत्र का फिजकल सर्वे करा लिया गया है ।

2- आर०वी०ओ० एक्ट का उल्लंघन करके बनाये गये भावलों की सूची बना ली गयी है जिसका योग 55 है ।

3- उक्त निर्देशानुसार मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक .उत्तर प्रदेश से उनकी मंत्रणा मांगी गयी थी जो इस प्रकार है :-

"उपरोक्त स्थल पर निर्मित भावलों को नियमित करने के संबंध में मेरे विचार से जो सरकारी लेन प्रस्तावित की गयी है उसको कायम रक्खा जाये तथा सरकारी लेन पर निर्मित छद्मे को तोड़कर दिया जाये इसके अतिरिक्त आर० वी०ओ० एक्ट के प्राविधानोंके विपरीत जो निर्माण किये जा चुके हैं उन्हें शमन शुल्क लेने के उपरान्त शमन कर दिया जाये । भाविष्य में निर्मित करने के लिये निर्माण आर०वी०ओ० एक्ट के प्राविधानों के अनुसार ही उसके लिए उचित व्यवस्था की जाये "

अब इस विषय पर विकास प्राधिकरण द्वारा सिद्धान्तः निर्णय लिया जाता है कि ऐसी अनाधिकृत वस्तियों के संबंध में क्या किया जाता है । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अन्य सुवनाये इस विषय में मांगी गयी है जो एकत्रित करायी जा रही है तब तक यह विषय तिति निर्धारण हेतु प्रस्तुत है ।

टि प णी
=====

विषय: तालकटोरा रोड पर स्थित भूखण्ड संख्या 4 का लखनऊ महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में :

=x=x=x=x=x=x=x=x=

सा रों श :
=====

- 1- सर्व श्री आर्य इन्डस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड को इन्डस्ट्रियल एरिया स्कीम तालकटोरा रोड, लखनऊ में भूखण्ड संख्या इन्डस्ट्री लगाने हेतु आवन्टित किया गया था। यह लीज़ वर्ष 1965 में सम्पादित हुई थी तथा उसके सम्बन्धों के लेसी को बारह मास के अन्दर नियमानुकूल इन्डस्ट्री हेतु फकट्री का निर्माण पूर्ण कर लेना चाहिये था।
- 2- लेसी ने दिनांक 5-5-76 को स्वीकृत हेतु एक भावन चित्र प्रस्तुत किया, जिसमें सर्व श्री आर्य इन्डस्ट्रीज़ प्रा0लिमिटेड के कार्यालय कक्षा व बाउन्डी वाल का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। कार्यालय कक्षा के निर्माण में आपत्ति उठाये जाने पर लेसी ने पुनः दिनांक 28-10-76 को भावन चित्र प्रस्तुत किये जिसमें पिक्चर हाल की बाउन्डी का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। पुनः आपत्ति उठाई गई और लेसी ने पुनः दिनांक 4-12-76 को नये भावन चित्र प्रस्तुत किये जिसमें केवल बाउन्डी वाल का निर्माण प्रस्तावित था जो दिनांक 26-3-77 को स्वीकृत कर दिया गया।
- 3- तदुपरान्त लेसी ॥ डायरेक्टर, आर्य इन्डस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड ॥ द्वारा अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण से उक्त भूखण्ड के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निवेदन किया। इस विषय पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने इस स्थल पर सिनेमाहाल बनाना उचित नहीं पाया।
- 4- लेसी ने अध्यक्ष/आयुक्त से पुनः आग्रह किया है कि क्षेत्र में आस पास व्यापारिक क्षेत्र नहीं है अतः इस स्थान को औद्योगिक से व्यापारिक में इस आधार पर परिवर्तन किया जाये। इस पर वरिष्ठ नगर नियोजक ने मत प्रस्तुत किया कि क्षेत्र के आस पास की कालोनियों में निश्चित ही पूर्व में व्यापारिक क्षेत्र प्रस्तावित किये जाते हैं। अतः यह कहना

क्रमशः -----

उचित नहीं है कि व्यापारिक क्षेत्र उक्त कालोनियों को किसी प्रकार सुविधा प्रदान करेगा । जहाँ तक इस क्षेत्र के आस पास हो रहे विकास का प्रश्न है इस समय उक्त प्लॉट के एक तरफ पेट्रोल पम्प तथा दूसरे तरफ एक रोड बना हुआ है तथा सामने की तरफ कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठान कार्य कर रहे हैं अतः इन औद्योगिक विकासों के बीच दूकानों एवं कार्यालय बनाने की अनुमति दी जाती है तो सम्भावतया यह विकास स्थान की आवश्यकताओं के अनुसार तो होगा लेकिन ऐसा करने से पूर्व लीज़ प्राविधानों एवं उपयोग दोनों में परिवर्तन करना आवश्यक होगा । लीज़ के उपबन्धा 72 §5 के अनुसार इस भूखण्ड का भू उपयोग केवल इन्डस्ट्री लगाने के लिये हो सकता है ।

5-

पूर्ण विषय प्राधिकाकरण के समक्षा आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

XXXXXXXXXXXXXX

एम/आर xxx

लोगों ने अतिक्रमण कर लिए हैं उन व्यक्तियों को अतिक्रमण के सम्बन्ध में भावन विभाग द्वारा अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध नोटिस तागित करायी जाए तथा उनको गिराये जाने की कार्यवाही होनी चाहिए।

वरिष्ठ नगर नियोजक ने इस प्रक्रिया में होने वाली कठिनाइयों को व्यक्त किया।

कार्यालय द्वारा भी कठिनाइयों को व्यक्त करते हुए बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के लिए स्टाफ को समुचित सुरक्षा तथा पुलिस सहायता उपलब्ध होनी चाहिए जो पूर्व में आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सकी है।

निताधिका री महोदय ने आश्वासन दिया कि समुचित सहायता दी जाएगी। साथ ही यह सुझाव दिया कि कुछ मामलों पहले लिए जाए जिन पर कार्यवाही करने से अन्य अतिक्रमणकर्ताओं पर प्रभाव पड़े।

विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

- 1- शासन से अनुरोध किया जाए कि नज़ूल मैनुवल/अर्बन प्लानिंग एक्ट तथा यदि आवश्यकता हो तो नया अधिनियम बनाकर नज़ूल सम्पत्ति पर अतिक्रमण को () जुर्म माना जाए ताकि विभाग/ विभास प्राधिकरण तथा पुलिस विभाग सक्रिय होकर बत पूर्वक अतिक्रमण हटाने में सक्षम हो।
- 2- अतिरिक्त स्टाफ लगाकर अतिक्रमणों का सर्वे कराया जाए तथा ऐसे मामलों में प्रभावी कार्यवाही की जाए और अनधिकृत निर्माण को गिराने के लिए भावन विभाग द्वारा कार्यवाही की जाए तथा नज़ूल विभाग में ऐसे मामलों को ठीक से जांच करके भावन विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जाए।
- 3- नवीकरणा रोड के दोनों तरफ नज़ूल भूमि पर आवासीय योजना बतवायी जाए तथा उसके क्रियान्वयन के लिए ठोस कदम उठाये जाए।
- 4- नज़ूल के अगूरे रिकार्ड एवं पुराने तथा फटे हुए क्लर्कों आदि को पुनः संकलित करके सही किया जाए तथा उसके लिए क्लर्क ट्रेट के रिकार्ड से पूर्ति हेतु सहायता ली जाए इसके लिए स्टाफ लगाया जाए। क्लर्क ट्रेट के रिकार्ड देख कर ए. नया () नज़ूल रजिस्ट्रर बनाया जाए और इस कार्य के लिए एक टाइम वाउन्ड योजना बतवायी जाए।

- 5- उपरोक्त सभी कार्यों के सम्पादित करने के लिए वर्तमान
 स्टाफ के अतिरिक्त आवश्यक स्टाफ स्वीकृत किया जाए तथा
 सर्वे इत्यादि का कार्य शीघ्रातिशीघ्र कराया जाए। जैसे-
 जैसे जांच होनी जाए आवश्यकतानुसार रिपोर्ट सही किए
 जाए तथा अतिरिक्त-कर्ताओं के विरुद्ध एवं अनियमितताओं
 के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए।

- : 0 : -

विषय:- नवयुग कन्या विद्यालय राजेन्द्र नगर, नगर, योजना को 50 फिट चौड़ी सड़क देने के सम्बन्ध में ।

- 1 नवयुग कन्या विद्यालय राजेन्द्र नगर, इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट तखानऊ द्वारा संचालित बशीरत गंज योजना में स्थित है। कन्या विद्यालय एवं इन्स्ट्रुमेन्ट फैक्टरी के बीच से होकर योजना की 50 फिट चौड़ी सड़क गुजरती है। पताव संलग्न। कन्या विद्यालय द्वारा काफी समय से यह मांग की जाती रही है कि यह सड़क गंजी रहती है असुरिद्धता है तथा इसे बंद करके सड़क की भूमि कन्या विद्यालय को दे दी जाये।
- 2 बशीरत गंज पुरानी योजना है तथा अब इसका रखा रखाव महापातिका तखानऊ द्वारा किया जा रहा है। अतः उपरोक्त विषय पर निर्णय लेने के लिये महापातिका अधिकारियों द्वारा स्थित विरी वाण्ट किये गये और यह पाया गया था कि इस भाग को विद्यालय की ज रेन्ट पर लेकर स्कूल के हाते केअन्दर सम्मलित करना चाहता है जो किसी प्रकार सम्भाव व उचित नहीं है। कि इस भाग को प्रस्तामान स्थान के आस-पास रहने वाले आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यापारियों के लिये शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। अतः सड़क के भू-भाग पर सार्व-जनिक शौचालयों का निर्माण किया जाये।
- 3 जब इन शौचालयों का निर्माण आरम्भ किया गया तो तत्कालीन स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने इसे रोकने के आदेश दिये इसी सन्दर्भ में एक प्रश्न विधान सभा में पूछा गया , तब से इस भू-भाग पर कोई निर्माण नहीं हुआ है।
- 4 नवयुग कन्या विद्यालय द्वारा इस सड़क के समाप्त कर उन्हें देने की मांग को पुनः उठाया गया है। अतः विद्यार्थी विषय विकास, परिष्कारण द्वारा प्रस्तुत है।

विषय: श्री आर्गव वदारा कय किये गये आरुण्ड के प्री मियम
में 50% ँ पचास प्रतिशत ँ छुट का आवेदन

=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=

- 1- श्री एस०के० आर्गव ने दिनांक 2-2-77 को कुतुबपुर इरादत नगर के आरुण्ड संख्या सी- 393 को सार्वजनिक नीलामी में 10/- प्रति वर्ग-फुट की सर्वोच्च बोली लगाकर खारी दा ।
- 2- नीलामी की दानराशि का एक चौथाई आठ तुरन्त उनके वदारा जमा कर दिया गया तथा शेष दानराशि ँ 25,254.60 रुपये ँ के बारे में दिनांक 20-6-77 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि उन्होंने यह आरुण्ड बिराला सेवा शिद्धा संस्थान के लिये कय किया है तथा यह भी निवेदन किया कि विकास प्राधिकरण, सेवा-संस्थान के चैरिटेबुल इन्स्टीटयुशन होने के कारण 50% की छुट प्रदान करे ।
- 3- प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 को इस विषय में यह निर्णय लिया गया कि :-
 - क- संस्थान अपनी प्राप्तियों एवं देयकों का विवरण प्रस्तुत करे जिससे ये ज्ञात हो सके कि उसकी क्षमता क्या है ।
 - ख- किन आदतारों पर वह अपने को दातव्य संस्था होने का दावा करते हैं ।

इसके उत्तर में संस्थान ने यह सूचित किया कि दिनांक 1-4-76 से 1-3-77 तक उनकी कुल आय र० 49,619-36 है एवं व्यय रुपये 44,729-54 है । दूसरे आयकर अधिनियम की दारा 2॥15॥ के अर्न्तगत पंजीकृत होने का तात्पर्य आयकर से मुर्षित का होता है ।

इस विषय को दिनांक 15-7-79 की बैठक में प्रस्तुत किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जब आरुण्डों की नीलामी बोली की गई तो उस समय बोली करने वालों को यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि शिद्धा संस्थाओं को 50% छुट दी जायेगी तथा यह कि उचित जानकारी देने के बाद नीलामी की कार्यवाही पुनः की जाये ।

परन्तु सेवा संस्थान वदारा पुनः इस आदतार पर आवेदन किया गया है कि संस्थान एक दातव्य संस्था है, अतः उक्त संस्था को आरुण्ड के प्री मियम में 50% की छुट मिलनी ही चाहिये ।

 विभाग प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतार्थ आख्या

विषय: प्राधिकरण के अधिकारियों को विभागीय वाहनों को व्यक्तिगत प्रयोग में लाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

आख्या: 1

उत्तर प्रदेश शासन तथा वाहन के लई विभागों द्वारा अपने अधिकारियों को विभागीय वाहन व्यक्तिगत कार्य हेतु प्रयोग करने की अनुमति दी जा रही है और विहित धानराशि सम्बन्धित अधिकारियों से नियमानुसार जमा करा जा रही है। अतः तदनुसार ही प्राधिकरण के अधिकारियों को भी विभागीय वाहन व्यक्तिगत प्रयोग किये जाने के लिए निदेशा अपेक्षित हैं।

दो वैकल्पिक आदेशों की प्रति प्रस्तुत है।

शासनादेश सं० 3045 टी/तीस-4-4 जे वी-77

दिनांक 1 जुलाई 1977 जो अधिकारियों द्वारा सरकारी गाड़ियों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में है के अनुच्छेद-2 का

उद्धारण:-

2- जहाँ तक सरकारी गाड़ियों के निजी प्रयोग का प्रश्न है अधिकारियों द्वारा स्टाफ कारों के निजी प्रयोजन में प्रयोग अधिकतम 240 कि०मी० तक की दूरी के लिए 100 रु० प्रति रूपया० केवल प्रतिमाह भुगतान करना होगा तथा इस सीमा से अधिक दूरी तक प्रयोग करने पर सम्बन्धित अधिकारी को निश्चित टैक्सी की दरों पर किराये का भुगतान करना होगा। इस संबंध में भुगतान किये जाने वाली धानराशि प्राप्त शीर्षक "065-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-ग-अनरु सेवाएँ-V// -अन्य प्राप्तियाँ-मोटर गैराज आदि से प्राप्तियाँ" के अन्तर्गत सरकारी खाजाने में जमा की जायगी। निजी प्रयोग के लिए उपरोक्त पैरा के अनुसार स्टाफ कार अथवा अन्य गाड़िया प्रयोजन में लाने के लिए, विभागाध्यक्ष एवं समकक्ष अधिकारी शासन से और अधीनस्था अधिकारी विभागाध्यक्षों से पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे तथा गाड़ी के प्रयोग में लाने के पहले यह धानराशि दिये गये प्राप्त शीर्षक में जमा करा देंगे।

= = = =

दिनांक 26-4-78 को शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र, विकास प्राधिकारी के अध्यक्ष श्री सुमन कुमार माडवल, की अध्यक्षता में हुई प्राधिकारी की पंचम बैठक के कार्यवृत्त का उद्धरण

- : 0 : -

मद संख्या-7 {पृष्ठ-5}

प्राधिकारी के अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव को निगमों के प्रबन्ध निदेशकों/अध्यक्षों की भांति वाहन प्रयोग की सुविधा दिया जाना ।

प्रस्ताव पारित हुआ कि अध्यक्ष तथा सचिव जो कि निगमों के पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के समकक्ष हैं, को निम्नलिखित शासन द्वारा उपलब्ध सुविधाएँ सुलभ होगी :-

- 1- निवास स्थान से कार्यालय तक आने जाने की यात्रा ड्यूटी-रन समझी जायगी ।
- 2- छोटी तथा बड़ी गाड़ियों के लिये क्रमशः 50 तथा 75 रुपये प्रतिमास सम्बन्धित अधिकारी को जमा करना पड़ेगा, जिसके विरुद्ध अधिकतम 250 किमी० तक निजी यात्रा एक मास में की जा सकती है ।
- 3- छोटी तथा बड़ी गाड़ियों के लिये क्रमशः 100 तथा 150 रुपये प्रतिमास सम्बन्धित अधिकारी को जमा करना होगा जिसके विरुद्ध अधिकतम 500 किलोमीटर तक निजी यात्रा एक मास में की जा सकती है ।

इसके साथ ही यह भी तय हुआ कि प्राधिकारी के अधिकारियों के निजी प्रयोग हेतु वाहन की सुविधा इस शर्त पर दी जाये कि वाहन पर जो ब्यय हो वह उनसे वसूल किया जावे लेकिन प्रतिबन्ध यह होगा कि प्राधिकारी के कार्यों में कोई ब्यवधान न पड़े । सचिव को अधिकृत किया गया है कि इस विषय पर अन्य प्राधिकारियों के यहाँ जो नियम बन चुके हैं इसके अनुरूप यहाँ भी नियम बनाकर शुल्क निर्धारण कर प्रस्ताव प्राधिकारी की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

- : 0 : -

लखनऊ के विभिन्न पार्कों में ओपेन एयर रेस्टोरेन्ट का निर्माण एवं आवंटन

विषय - 20

इधर कुछ समय से लखनऊ विकास प्राधिकरण के कुछ प्रमुखा पार्कों में आधुनिक ढंग के " ओपेन एयर रेस्टोरेन्ट " स्थापित करने का विनाय विचार-धीन रहा है। समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर 10 मई, 1979 तक अंतिमरूप से इच्छुक व्यक्तियों को अपना प्रस्ताव देने का आवाहन किया गया था। विज्ञापन के फलस्वरूप बहुत से व्यक्तियों ने आकर दिया था। तदनुश्रुत समाचार पत्रों में लोटिस देकर टेण्डर भी आयोजित किये गये थे। केवल नौ व्यक्तियों ने दिनांक 4-6-79 को टेण्डर दिये:-

- 1- ग्लोब पार्क : अष्टिकतम आकर श्री अश्वनी कुमार का है। रुपये 2.10 पैसे प्रति वर्ग फुट।
- 2- पार्क अपोजिट तिमब सेन्टर : इसके लिए श्री वी०के० कपूर का अष्टिकतम आकर रु० 1.25 पैसे प्रति वर्ग फुट का है।
- 3- शाहीद पार्क : इसका अष्टिकतम आकर श्री अरुण कुमार रुपया 2.04 रु० पैसे प्रति वर्ग फुट का है तथा इसकी मांग 98 वर्ग फुट की है।

नोट:-

इस पार्क के लिए दिये गये टेण्डर के तारतम्य में टेण्डर डालने के काफी दिनों बाद श्री अशोक कुमार तथा श्री अरुण कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है जो पत्रावली में संलग्न है।

- 4- पतंग वाला मैदान : इसका अष्टिकतम आकर श्री अशीष कुमार का रु० 1.67 पैसे प्रति वर्ग फुट का है।

अतः उपरोक्त टेन्डरों पर अंतिम निर्णय हेतु प्राधिकरण में प्रस्तुत है।

- : 0 : -

 विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय :-ल०वि०प्रा० की विभिन्न योजनाओं के लिये भवनों एवं भूखण्डों हेतु हडकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के संबंध में ।

वर्ष 1979-80 में अलीगंज योजना, कानपुर रोड योजना तथा मोतीझील योजना के अन्तर्गत ई०डब्लू०एस० के भवन तथा साइट्स एवं सर्विसेज के भूखण्डों हेतु रु० 66.50 लाख का प्राविधान किया गया है। यह धन हडकों से वित्त पोषित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अलीगंज योजना तथा कानपुर रोड योजनाओं में प्रत्येक में 200 एल०आई०जी० के भवन निर्मित किये जाने हैं। इन भवनों का विक्रय मूल्य रु० 18,000/- प्रस्तावित है जो हडकों की निर्धारित सीमा के अन्दर है। यद्यपि बजट में इन भवनों का निर्माण सीड कैपिटल से प्रस्तावित है जो 9 1/2 % व्याज की दर का है परन्तु हडकों से एल०आई०जी० हेतु 7 1/4 % व्याज पर ऋण प्राप्त हो सकता है। अतः इन भवनों हेतु भी पोषण हडकों से ऋण लेना अधिक उचित रहेगा ।

अतः निम्न तालिका में दर्शाए गए भवनों के निर्माण हेतु हडकों से ऋण लेने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

योजना का नाम	एल०आई०जी० भवनों की संख्या	ई०डब्लू०एस० भवनों की संख्या	साइट्स एवं सर्विसेज भूखण्डों की संख्या
अलीगंज योजना	200	500	800
कानपुर रोड योजना	200	200	500
मोतीझील योजना	-	448	300

- : 0 : -

विषय: हाता रसूल खाँ योजना :-
०००००

आरूपा:
०००००

1. महापातिका अधिनियम की धारा 357 के अधीन गजट
नोटिफिकेशन दिनांक 16-6-1962

महापातिका अधिनियम की धारा 363(1) के अधीन गजट
नोटिफिकेशन दिनांक 8-5-65

प्रतिकर की धनराशि	रु 1,00,000/-
कुल भूमि	65,469 वर्ग फुट
कब्जा	33,623 वर्ग फुट

2- जल निगम ने भूमिगत जलाशय बनावे के लिए 14,000 वर्गफुट
भूमि की मांग की है। योजना में प्रस्तावित 12,500 वर्गफुट
पार्क का क्षेत्र उत्तर प्रदेश जल निगम को दिया जा सकता है।
ऐसी अवस्था में पार्क का सार्वजनिक उपयोग न हो पाएगा।
श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम ने इस भूमि को उत्तर प्रदेश जल निगम को
दिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति प्रकट की है।

3- श्री निगम ने यह भी विवेदन किया है कि इस योजना में
हाता रसूल खाँ की भूमि में से 30,800 वर्गफुट रु 3/28 प्रति
वर्गफुट की दर से हाता रसूल खाँ सहकारी गृह निर्माण समिति
को दिये जाने के सम्बन्ध में महापातिका के प्रस्ताव संख्या 162
दिनांक 10-4-72 में निर्णय लिया गया था तथा राज्य सरकार
से योजना की स्वीकृति माँगी गयी थी परन्तु शासन का कोई
उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे यह योजना दुर्बल आय वर्ग के
लिए बनायी जा रही है तथा सभी विस्थापितों को इसी
योजना में बसाया जायगा। परन्तु यदि 30800 वर्ग फुट भूमि
उपरोक्त समिति को दे दी गयी तथा योजना के क्रिया त्वयन
हेतु उपलब्ध न हुई तो इस योजना को निरस्त करना पड़ेगा।

4- यह विषय प्राधिकरण की बैठक में दिनांक 28-4-79 में प्रस्तुत
किया गया था जिसमें निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी और
उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण हाता रसूल खाँ का स्थल
निरीक्षण करके रिपोर्ट दें।

- 5- प्राधिकरण के निर्देशानुसार उपरोक्त अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण कर लिया गया तथा उन्होंने अनुशंसा की है कि परिवार कल्याण केन्द्र के सामने वाली भूमि को जिसका क्षेत्रफल लगभग 7000 वर्गफुट है, जल विद्युत को जलाशय के निर्माण हेतु दे दिया जाए तथा शेष भाग में झील तथा मकानों का निर्माण कराया जाए।

अनुशंसा :
०००००

- 1- योजना के हित में अनुशंसा की जाती है कि महापातिका के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया जाए जिससे योजना का विकास किया जा सके।
- 2- जल विद्युत को जलाशय निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरित के लिए आवश्यक निर्देश अपेक्षित है।

- : 0 : -

विकास प्राधिकरण के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लीज रेण्ट समाप्त करके फ्री-होल्ड में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषय में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17-3-79 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

- 1- सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया गया कि प्राधिकरण की योजनाओं में भूखण्डों/भवनों की भूमि लीज पर न देकर फ्री-होल्ड पर दिया जाये ।
- 2- विकास प्राधिकरण की योजनाओं में भविष्य में निस्तारित भूखण्डों/भवनों की भूमि की कीमत में 20% जोड़कर वसूल किया जाये तथा आवण्टियों को फ्री-होल्ड अधिकार दिये जाये ।
- 3- भूतकाल में निस्तारित भवनों एवं भूखण्डों को फ्री-होल्ड अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में आख्या अलग से विधिक राय लेकर प्रस्तुत की जाय ।

उपरोक्त विषय प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17-3-79 के एजेण्डा के अन्तर्गत विषय संख्या 3-क के अन्तर्गत अलीगंज योजना में लीज रेण्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में रखा गया था, जिस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया ।

अतः इसको पुनः यथावत् प्रस्तुत किया जा रहा है ।

सारांश :- अलीगंज योजना में भूखण्डों/भवनों के अन्तर्गत भूमि के लीज रेण्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में आवण्टन नियमावली में निम्न प्रकार व्यवस्था है :-

"भवन एवं भूमि का सम्पूर्ण मूल्य भुगतान करने के पश्चात् भवन का किराया-क्रय विलेख अपने आप क्रय-विलेख हो जायेगा और भूमि के लिये दूसरा विलेख करना पड़ेगा । सर्वप्रथम भूमि 90 वर्ष के पट्टे पर दी जायेगी और पट्टे का किराया रु0 100/- प्रति वर्ष प्रति बीघा होगा । प्रत्येक 30 वर्ष बाद पट्टे का नवीनीकरण कराना होगा और प्रत्येक नवीनीकरण की तिथि से पट्टे का किराया बढ़ जायेगा, जो किसी भी दशा में 50% से अधिक नहीं होगा ।"

उपाध्यक्ष महोदय ने अपने आदेश दिनांक 16-4-75 द्वारा लीज रेण्ट भूमि के प्रीमियम का 1% निर्धारित किया । इस व्यवस्था के विरोध स्वरूप आवण्टियों ने कई पत्र भेजे, जिसके फलस्वरूप लीज रेण्ट से संबंधित मामला प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-7-78 को पेश किया गया था तथा निम्न निर्णय लिया गया :-

"लीज रेण्ट के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि लीज रेण्ट में एक नीति निर्धारित कर दी जाये और इसे अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।"

यह मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23-9-78 में पुनः पेश किया गया तथा निम्न निर्णय लिया गया :-

"विषय संख्या-9 दिनांक 15-7-78, जो अलीगंज योजना में भूमि के लीज रेण्ट निर्धारण के सम्बन्ध रखता है, के क्रम में आदेश निर्गत हुआ कि किसी अधिकारी/कर्मचारी को भेजकर लीज रेण्ट के बारे में सूचना मँगाई जाय ।"

तदनुसार कानपुर तथा गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण से लीजरेण्ट की जो धनराशि ली जा रही है, उसका विवरण प्राप्त कर लिया गया है जो निम्न प्रकार है :-

कानपुर विकास प्राधिकरण : 10 हजार रुपये भूमि के मूल्य पर रु0 5/-
वार्षिक तथा इससे अधिक मूल्य पर रु0 10/-
वार्षिक लीज रेण्ट ।

गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण : नगर पालिका सीमा के अन्दर परन्तु
शहर में निम्न लीज रेण्ट होगा :-

रु0 5/-	प्रति 100 वर्ग गज़	प्रथम 15 वर्ष हेतु ।
रु0 10/-	प्रति 100 वर्ग गज़	अगले 15 वर्ष हेतु ।
रु0 15/-	प्रति 100 वर्ग गज़	30 वर्ष समाप्ति के पश्चात् ।
रु0 20-50 पै0	प्रति वर्ग गज़	60 वर्ष के बाद ।

अतः उपरोक्त आख्या सहित यह विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

- : 0 : -

लघुनऊ विकास प्राधिकरण के लिये ब्याख्यात्मक रिटिप्पणी

विषय : प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं/वास्तुविदों/नियोजकों को पोस्ट ग्रेजुएट एलाउन्स दिया जाना ।

विकास प्राधिकरण में कार्यरत दो अभियन्ता एवं वास्तुविद पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता रखते हैं । इनमें से एक अधिकारी ने पोस्ट-ग्रेजुएट एलाउन्स के लिये आवेदनपत्र दिया है ।

2- राजकीय निर्माण निगम में अभियन्ताओं को रु 100/- प्रति माह पोस्ट ग्रेजुएट एलाउन्स दिया जाता है ॥ आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है ॥ ।

3- यदि इन तीनों अधिकारियों को रु 100/- प्रतिमाह पोस्ट ग्रेजुएट एलाउन्स दिया जाता है तो इससे प्राधिकरण पर सिर्फ रु 3600/- प्रतिवर्ष व्यय भार बढ़ेगा ।

संस्तुति :

प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं/वास्तुविदों/नियोजकों को इन्सेप्टिव के रूप में रु 100/- प्रतिमाह पोस्ट ग्रेजुएट एलाउन्स दिये जाने की अनुशंसा की जाती है ।

- : 0 : -

Ref. No. 4434/20C/Rmn/77 Dated: 26/9/77

CIRCULAR

Sub: Grant of Post Graduate Pay to Direct Employees of the Nirman Nigam.

The Board of Directors vide Resolution No. 16/12 of the Meeting of the Board of Directors, held on 7/9/77 have resolved that the direct employees of the Nirman Nigam will also be allowed Post Graduate Pay in the similar manner; rates and terms as the engineers of PWD and Irrigation Department of U.P. Government are getting.

In pursuance of the above Resolution, the following rules are hereby made for grant of Post Graduate Pay:-

1. The Post Graduate Pay shall be admissible only to those Direct Employees of the Nigam, who are in the Nigam's pay scale of Rs.550-1200 or Rs. 800-1450. The payment of post Graduate pay shall be so regulated that the basic pay of an employee plus post Graduate Pay shall not exceed Rs. 1450/- per month.
 2. The Post Graduate Pay will not be allowed to those employees who acquire or have acquired the Post Graduate qualifications at the expense of, or on a scholarship or following from:
 - a) The Government, or any State Govt./Central Govt. undertaking.
 - b) Government of India, or any foreign Govt. on the sponsorship of the State Government, or
 - c) Any institution or organisation, Indian or foreign on the sponsorship of the State Govt.,
Provided(i) That the grant of study leave or leave of any other kind as may be due shall not disqualify a Government Pay, Provided the cost of passage to and from abroad is not financed/ subsidised by State/Central Government Indian or Foreign Institute or organisation.
- (ii) That expenditure borne by the State Government only up to the post of embarkation or disembarkation shall not disqualify a person from receiving the post graduate pay:

3. Where a person holds two or more post graduate qualifications, post graduate pay will be allowed on the highest qualification only.
4. The rates of postgraduate pay will be as follows:

i. For Post graduate diploma	Rs. 50/-
ii. For Master's Degree	Rs.100/-
iii. For Ph.D.	Rs.125/-
iv. For D.Sc.	Rs.150/-
5. Basic pay for the purpose of granting Post Graduate Pay will near pay as defined in F.R.9 (21)(i) of the Financial Handbook, Volume II of U.P. Government.
6. Direct employees of the Nigam for the purpose of grant of post Graduate pay will mean these employees who are working in that time scale of pay of this Nigam Apprentices, Trainees will not be covered under Rules.
7. The sanctioning authority for grant of the Post Graduate pay is the Managing Director and all cases fulfilling the above conditions should be referred to the Secretary-cum-Personnel Manager alongwith the attested copies of certificates / testimonials for obtain the Managing Director's approval.

The above orders will come into force with effect from 7.9.1977.

Sd/-
(P.N.ROY)
MANAGING DIRECTOR

Copy to:

1. All General Managers.
2. All Sr. Project Managers.
3. All Project Managers.
4. All Acting Project Managers.
5. All Officers Headquarters, U.P.RNN.LTD.,
6. All Accountants & Monitoring Accountants.

Sd/-
(P.N.ROY)
MANAGING DIRECTOR

योजना का
नाम :-

मीती झील आवासयोजना
ककककक कककक कककककककक

इस क्षेत्र में एक स्लाटर हाउस के समीप सड़क योजना कार्यान्वित की जा रही है और यहाँ 14-38 एकड़ भूमि-भाग का कब्जा लेकर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों हेतु निर्माण किया जा रहा है। इसी क्षेत्र के आस-पास कुछ और भूमि पड़ी है उस पर आवासीय योजना प्रस्तावित की गयी है।

स्थिति :-

ग्राम भादेवां करैहटा एवं पाण्डेय का तालाब कालोनी के बीच एवं इन्डस्ट्रियल योजना के कुछ भूखण्डों पर उक्त योजना प्रस्तावित है।

क्षेत्रफल :-

38.5 एकड़।

उद्देश्य :-

आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु आवासीय सुविधा प्रदान की जायेगी। उपरोक्त योजना हेतु निम्न बिन्दु लक्षावक विकास प्राधिकरण के आदेशावधि प्रस्तुत है :-

1-

उक्त योजना जिसका क्षेत्रफल 38.5 एकड़ है को आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति।

2-

योजना का नाम "मीती झील आवास योजना" रखाने की अनुमति।

xxx0000xxx

प्रदीप/-

योजना का नाम : गोमती आवास योजना ।

स्थि : नबीउल्लाह रोड व सीतापुर रेलवे लाइन के बीच की भूमि, नबीउल्लाह रोड व रिवर बैंक कालोनी की बीच की भूमि । बलरामपुर हास्पिटल के पीछे व रेजीडेन्सी के साइड में पड़ी भूमि, शाहमीना रोड व नारमल स्कूल के पीछे तथा सिल्वर हेल्थ स्कूल के सामने की भूमि एवं रफेथाम क्लब की भूमि ।

कुल क्षेत्रफल : बीघा 123-15-12-15

उद्देश्य : आर्थिक दृष्टि से कमजोर, अल्प, मध्यम एवं उच्च आय वर्ग के ब्यक्तियों हेतु सुनियोजित आवासीय योजना बनाने का प्रस्ताव है ।

नोट : यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त भूमि में से 42 बीघा भूमि मेडिकल कालेज को विस्तार करने हेतु हस्तान्तरित करने का पूर्व में निर्णय लिया गया था, परन्तु इस भूमि को अभी तक मेडिकल कालेज को नहीं दिया जा सका । प्रश्नगत भूमि पर अवैधे अतिक्रमण है, जिनके विरुद्ध कार्यवाही भी चल रही है ।

इस भूमि से सम्बन्धित कुछ लोगों द्वारा अनधिकृत कब्जा व निर्माण करने के कारण न्यायालय में 8 मुकदमें भी चल रहे हैं जिसके निस्तारण में अधिक समय लगने की सम्भावना है ।

इस पूरे क्षेत्र में काफी तीव्रता से अनधिकृत निर्माण हो रहे हैं, जिसपर यदि तत्काल रोक नहीं लगाई गयी तो समस्या उत्तरोत्तर गम्भीर होती जायगी और एक ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जबकि इस क्षेत्र का सुनियोजित विकास एवं प्रस्तावित योजनाओं का क्रियान्वयन असम्भव हो जायेगा । उक्त क्षेत्र की नजूल भूमि के पट्टेदार व लाइसेन्सदारों की लीज व लाइसेन्स राइट्स भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित की जायगी । अतः यह आवश्यक है कि तत्सम्बन्धित विकास प्राधिकरण उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करने के आदेश पास्ति करें ।

योजना का नाम : सिल्वर जुबली हेल्थ स्कूल के पीछे वाली पड़े
भूखण्ड पर आवासीय योजना ।

स्थिति : मीर तकीमीर रोड के समीप एवं चौधरी गढ़ैया की
आबादी से मिला भूखण्ड ।

क्षेत्रफल : बीघा 2-5-7-1।

उद्देश्य : आर्थिक दृष्टि से कमजोर, अल्प एवं मध्यम आय वर्ग
के व्यक्तियों हेतु आवासीय व्यवस्था हेतु भूखण्ड एवं
भवन उपलब्ध कराये जायेंगे ।

निम्न विन्दु लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेशार्थ
प्रस्तुत है :-

अ- उक्त योजना जिसका क्षेत्रफल बीघा 2-5-7-1 है,
की आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन अधिनियम
के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति ।

ब- योजना का नाम निर्धारित करने के सम्बन्ध में
विवार ।

योजना का नाम : ए०पी०सेन रोड स्थित मकैया चारवाग योजना
के नजूल भूखण्ड सं०-4 पर आवासीय योजना ।

स्थिति : ए०पी०सेन रोड ।

क्षेत्रफल : 61,200 वर्गफुट ।

उद्देश्य : आवासीय भवन एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण का गेस्ट
हाउस बनाने का प्रस्ताव है ।

उपरोक्त योजना हेतु निम्न : विन्दु लखनऊ
विकास प्राधिकरण के समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत है :-

- 1- उक्त नजूल भूखण्ड सं०-4 के लीज राइट्स भूमि अर्जन
अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित कर आवासीय योजना
बनाने की अनुमति ।
- 2- योजना का नाम निर्धारित करने हेतु विचार ।

- : 0 : -

योजना का नाम : अलीगंज सब्जी मण्डी योजना ।

स्थिति : रैदास मन्दिर के निकट रेलवे लाइन पार करके अलीगंज योजना हेतु एप्रोच रोड व रेलवे लाइन के बीच की कुछ भूमि ।

क्षेत्रफल : 34,062 वर्गफुट ।

उद्देश्य : सब्जी मण्डी बनाने की योजना ।

अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना की प्रथम एप्रोच रोड पर बहुत से सब्जी वाले बैठते हैं, जिसके फलस्वरूप लगभग आधी सड़क अवरुद्ध रहती है, जिससे आवागमन में अत्यधिक असुविधा होती है । इस स्थल पर एक छोटी सी सब्जी का बाजार होना आवश्यक है । इस बात को ध्यान में रखते हुये उसी स्थान पर पड़ी भूमि पर एक योजना बनायी गयी है ताकि वहाँ पर बैठने वाले सब्जी विक्रेताओं को एक सुनियोजित ढंग से बैठाया जा सके । इस स्थान पर अनधिकृत निर्माण भी हो रहे हैं । अतः निम्न विन्दु लक्ष्यनक विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

अ- उक्त स्थल जिसका क्षेत्रफल 34,062 वर्गफुट है, पर सब्जी मण्डी योजना हेतु भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भूमि अर्जित करने की स्वीकृति ।

ब- योजना का नाम "अलीगंज सब्जी मण्डी योजना" रखने की अनुमति ।

योजना का नाम: जनपथ मार्केट योजना ।

स्थिति : हजरतगंज, लखनऊ ।

क्षेत्रफल : 2,532 वर्गफुट ।

उद्देश्य : हजरतगंज ओल्ड पोस्ट आफिस कम्पाउण्ड में निर्मित बहुगुण्डी भवन की एप्रोच रोड हेतु ।

उक्त भूमि के लीज राइट्स अर्जित करने हेतु विज्ञापित जारी कराने के लिये प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनुमति दिनांक 29-5-79 द्वारा जिलाधिकारी को भेजे जा चुके हैं ।

कृपयानिम्न विन्दु औपचारिक स्वीकृति हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है :--

- 1- हजरतगंज ओल्ड पोस्ट आफिस कम्पाउण्ड में निर्मित बहुगुण्डी भवन की एप्रोच रोड हेतु 2,532 वर्गफुट भूमि के लीज राइट्स भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति ।
- 2- योजना का नाम जनपथ मार्केट योजना रखने की अनुमति ।
- 3- इस भूमि आदि के अर्जन से जो विस्थापित होंगे उन्हें किसी समुचित योजना में योजना की शर्तों के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था करने की अनुमति ।

योजना का नाम: कान्यकुब्ज कालेज के सामने की भूमि पर
विकास योजना ।

स्थिति : स्टेशन रोड एवं कान्यकुब्ज कालेज के सामने की सड़क
के मध्य स्थित भूमि ।

क्षेत्रफल : बीघा 5-13-9-3

उद्देश्य : आवासीय-कम-ब्यवसायिक ।

उक्त योजना हेतु भूमि अर्जित करने के लिये निम्न
प्रस्ताव विकास प्राधिकरण के समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

अ- उक्त भूमि जिसका क्षेत्रफल बी० 5-13-9-3 है, को
अर्जित करने की अनुमति ।

ब- योजना का नाम निर्धारित करने हेतु विचार ।

विषय : हातारानी साहिबा गन्दी वस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत श्री खटिक पंचायत की भूमि अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयक आख्या लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-7-78 में पेश किया गया था परन्तु समयभावा के कारण यह विषय स्थगित किया गया था । इस सम्बन्ध में आख्या इस प्रकार है :-

- 1- नगर महापालिका अधिनियम की धारा 357 के अन्तर्गत विज्ञप्ति तिथि - 7-4-63
 - 2- नगर महापालिका अधिनियम की धारा 363 1/2 के अन्तर्गत विज्ञप्ति तिथि - 8-5-65
 - 3- भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत शासकीय आदेश की तिथि - 21-4-66
 - 4- एवार्ड घोषित होने की तिथि - 7-5-71
 - 5- एवार्ड की लागत - ₹ 55,711-25पै०
 - 6- योजना का क्षेत्रफल - बीघा 1-2-4-17
 - 7- अध्यापित निकाय द्वारा प्रतिकर हेतु भुगतान की गयी लागत व तिथि । - ₹ 43,200/-
8-2-72
- 2- चूंकि उक्त दोनो सम्पत्तियों के स्वामित्व के बारे में मतभेद था, इसलिये घोषित प्रतिकर धनराशि भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में जमा करा दी गयी और मामला निर्णय हेतु भेज दिया गया । उक्त अर्जित क्षेत्र का अधिकार अभी तक भूमि अर्जन अधिकारी से विकास प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुआ है ।
- 3- यहाँ यह उल्लेखनीय है कि महापालिका काल में कार्यकारिणी समिति ने अपने प्रस्ताव संख्या 412 दि० 28-3-73 द्वारा प्रश्नगत भूमि को श्री खटिक पंचायत के पक्ष में मुक्त करने का निर्णय लिया था । परन्तु इस भूमि का अर्जन हो चुकने के बाद कार्यकारिणी समिति ने अपने प्रस्ताव संख्या 279 दिनांक 1-11-74 में अपने पूर्व पारित प्रस्ताव संख्या 412 दि० 28-3-73 को निरस्त कर दिया था ।

- 4- इस सम्बन्ध में शासन ने आदेशित किया है कि हाता रानी साहिवा गन्दी वस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत श्री छटिक पंचायत की भूमि निम्नलिखित शर्तों पर योजना से मुक्त कर दिया जाय ।
- 1- छटिक पंचायत की जो भूमि है, उस पर आबाद लोगों को पंचायत भवन निर्मित कराकर उन लोगों को उसमें आबाद करायेगी ।
 - 2- जो धर्मशाला पंचायत निर्मित करायेगी उसकी सुविधा छटिक जाति के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी होगी ।
 - 3- छटिक पंचायत को यह निर्देश दिये जाये कि वह अपना निर्माण कार्य एक निर्धारित समय में पूरा करें जिसके लिये आप स्वयं अवधि निर्धारित करें । यदि पंचायत निर्धारित अवधि में अपना निर्माण कार्य पूरा नहीं करती है तो प्रस्तावित भूमि अर्जन का प्रस्ताव अमल में लाया जायेगा और फिर कोई समय में बढ़ोत्तरी आदि के आवेदन पर विचार करना सम्भव न होगा ।
- 5- यह उल्लेखनीय है कि योजना की लगभग 95% भूमि यदि श्री छटिक पंचायत की मुक्त करने का निर्णय लिया जाता है तो शेष भूमि पर कोई योजना चलाया जाना सम्भव नहीं है ।
- 6- मामले की छानवीन करते समय यह तथ्य सामने आया कि श्री छटिक पंचायत की ओनरशिप विवादग्रस्त है तथा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । इस सम्बन्ध में कानूनी राय भी ली गयी है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

उपरोक्त परिस्थितियों में शासन का निर्णय विकास प्राधि-करण के समक्ष प्रस्तुत है ।

Legal Opinion regarding Hata Rani Shiba Yogana.

The land comprised in Kh. Nos. 882, 883, 884, 886, 900 and 901 was the land under acquisition. The acquiring body was Nagar - Mahapalika (Vikas) which has deposited a sum of Rs. 47,316=25 the compensation payable, as directed by the Land Acquisition Officer by an Order dated 7.5.71.

§ The Khatik panchayat claimed first Rs. 5,72,160 and thereafter Rs. 23,24,250/= as compensation payable to them. The Khatik panchayat claimed compensation for the land measuring 26,885 sq. ft. but the area acquired is much more. It is of importance to note that of the Kh. Nos. mentioned above Kh. No. 900 is Nazul Land and not of Raja Balrampur.

The persons interested in the compensation were 30 including Khatik panchayat and Nazul Sarkar. As the Land Acquisition Officer was not clear as to whom compensation money is to be paid and was of the views that there is dispute between interested parties and there is no evidence to substantiate the validity of the claims of interested parties it referred the matter to Nagar Mahapalika Tribunal for payment and apportionment of the compensation to the persons entitled.

The letter dated April 3, 1979 shows that the matter is subjudice and has not yet been decided.

About 28 persons are claiming to be tenants on the land and are demanding compensation for their rights and construction. They are in possession and it is difficult to get the land vacated from them. It also appears from the file that one Jan Vikas Sahkari Griha Nirman Samiti limited seriously disputed the claims of panchayat and the members allege themselves to be very old tenants. The Government may be informed accordingly.

sd/.....
 (Jay Karen Nath Chaudhary)
 Advocate.
 Dated: 27.6.79.

आख्या
८८८८८८८

विषय :- लघुविकास प्राधिकरण के भावनों के किराये की
८८८८८८८ बैंक द्वारा वसूली ।

- 1- विकास प्राधिकरण द्वारा रेन्ट की वसूली को ज्यादा प्रभावशाली बनाते के लिए इसकी वसूली बैंको द्वारा आरम्भ की गई है, जिससे तीव्र लाभ होने :-
- ॥अ॥ वसूली संतोषजनक होगी ।
॥ब॥ रिकार्ड का रखरखाव ठीक होगा ।
॥स॥ डिफाल्टर्स के विरुद्ध कार्यवाही करने में आसानी हो जायेगी ।
- 2- उक्त परिस्थितियों में निम्नवत् प्रक्रिया बढाई गई तथा विभिन्न उच्च बैंको से संपर्क स्थापित किया गया।
- ॥अ॥ किराये के बिल बैंक द्वारा जारी किये जायेंगे ।
॥ब॥ समय के अन्दर भुगतान न होने पर बैंक नोटिसेज जारी करेगा ।
॥स॥ दानराशि किरायेदार द्वारा जमा करने पर बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर रसीद जारी की जायेगी ।
- ॥द॥ दैनिक प्राप्ति का स्कूल विवरण बैंक द्वारा प्राधिकरण को भेजा जायेगा जिसके आधार पर प्राप्ति का इन्द्राज केशा बुक में होगा।
- 3- उपरोक्त प्रक्रिया में समस्त जारी किये जाने वाले बिल, नोटिस, स्कूल की एक प्रति प्राधिकरण में प्राप्त होने जिसे आधार पर रजिस्ट्रों में इन्द्राज किये जायेंगे ।
- 4- उपरोक्त प्रक्रिया के कार्यान्वयन हेतु बैंक से आकर माँगे गये प्रमुखा बैंक, युनाईटेड कामर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक, युनाईटेड बैंक आफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ने आकर दिये परन्तु युनाईटेड कामर्शियल बैंक हजरतगंज के अतिरिक्त किसी बैंक ने पूर्वांकित शर्तों पर पूर्ण रुपेण सहमति नहीं दी, अतः उनके आकर को ही स्वीकृति किया गया तथा यह कार्य प्रणाली उनको कार्यान्वयन हेतु दे दी गई। उपरोक्त कार्य प्रणाली 1-4-79 से लागू कर दी गई है। सकारों के रेन्ट वसूली की सफलता के बाद तीजरेन्ट, हायर परचेज की कितें आदि भी बैंको के माध्यम से वसूल किये जायेंगे ।
- विद्यार्थी एवं अनुमोदवार्थी प्राधिकरण में प्रस्तुत है।

विषय सं०-19विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय :- मोतीझील योजना में प्रस्तावित 264 अन्य आय वर्ग के भवनों में से 60 का निर्माण कार्य ।

उक्त कार्य हेतु निविदायें दिनांक 15-5-79 को आमंत्रित की गई, निम्नलिखित दो निविदायें प्राप्त हुई :-

॥ 1॥ श्री सुरेन्द्र सिंह ॥ 143 ٪ उच्च ॥ रु० 11,80,153-05 पैसे

॥ 2॥ मेसर्स विजय का० ॥ 150 ٪ उच्च ॥ रु० 12,14,149-20 पैसे

उक्त निविदाओं में से श्री सुरेन्द्र सिंह की निविदा निम्न थी किन्तु दरें अधिक थी। ठेकेदार ने अपने पत्र दिनांक 11-6-79 द्वारा अनुमानित धनराशि से 119.95 ٪ उच्च पर कार्य करने की सहमति दे दी है। श्री सुरेन्द्र सिंह ने पूर्व में जमा अग्रिम धन को मानने का अनुरोध किया था किन्तु बाद में दिनांक 30-5-79 को जमा कर दिया है। श्री सुरेन्द्र सिंह की निविदा वर्ष 1972 के शिड्यूल से 119.95 ٪ उच्च है किन्तु वर्तमान बाजार दरों पर तुलनात्मक व्ययानुमान रु० 10,49,455/- से तुलना करने पर 1.79 ٪ उच्च रह जाती है। बाजार में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। श्री सुरेन्द्र सिंह की निवेदित धनराशि रु० 10,68,208/50 होती है जो स्वीकृत योग्य है। अध्यक्ष महोदय से विकास प्राधिकरण की स्वीकृत की प्रत्याशा में स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

अतः उक्त कार्य हेतु श्री सुरेन्द्र सिंह की निविदा विकास प्राधिकरण के समक्ष औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

- : 0 : -

विकास प्राधिकरण के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी
 ~~~~~

विषय:- अभियन्त्रण छांटों के लिए चार जीपों के क्रय एवं उनके लिए ड्राइवरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

सारांश:-  
 ~~~~~

- 1- विकास प्राधिकरण ने इस वर्ष 11.41 करोड़ का बजट तैयार किया है जिसमें लगभग 6.5 करोड़ के अभियन्त्रण, विकास आवास एवं व्यवसायिक कार्यों का निर्माण सम्मिलित है।
- 2- प्राधिकरण में इस समय 6 अभियन्त्रण छांट कार्यशील है और इस प्रकार प्रत्येक छांट द्वारा लगभग एक करोड़ से अधिक के कार्य कराये जायेंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक छांट का मानक 75 लाख होता है जबकि उनके पास एक अष्टाशती अभियन्ता, 4 सहायक अभियन्ता एवं 16 अवर अभियन्ता होते हैं साथ ही साथ अन्य सुविधाएं, जैसे-जीपें, डिजी जनल एकाउन्टेन्स भी उन्हें उपलब्ध होते हैं।
- 3- आवश्यक स्टाफ की पूर्ति के लिए अलग से कार्यवाही की जा रही है इस समय प्राधिकरण के समस्त 4 डीजल जीपों की खारीद हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।
- 4- इस समय प्राधिकरण में 7 गाड़ियां उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग निम्न सूची के अनुसार किया जा रहा है:-

1-	सचिव	एक कार
2-	अतिरिक्त सचिव	एक कार
3-	मुख्य अभियन्ता	एक कार
4-	अभियन्त्रण छांट	तीन जीपें
5-	सम्पत्ति अधिकारी / स्टोर आफिसर	एक डीजल ट्रैकर
- 5- अभियन्त्रण छांटों की कार्यशीलता में तेजी लाने के लिए वाहन का होना अति आवश्यक है तथा चार डीजल जीपों की नियमानुसार खारीद तथा चार ड्राइवर के पदों की स्वीकृति अपेक्षित है।

xxxx0000xxxx

विषय- प्राधिकरण के कर्मचारियों के भविष्यनिधि के पुराने लेखों को पूर्ण करना ।

प्राधिकरण ने बैठक दिनांक 23-9-78 को प्रस्ताव संख्या-9 द्वारा निर्देश प्रदान किये थे कि कर्मचारियों के भविष्यनिधि के खाते 31-3-79 तक पूर्ण कर दिये जायें । मदनसार स्थिति निम्न प्रकार है :-

2- लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना दिनांक 13-9-74 को हुई थी उस समय इन कर्मचारियों के भविष्यनिधि का रखरखाव महापालिका द्वारा सम्पादित किया जाता था । वर्ष 1976-77 में इन लेखों को प्राधिकरण में स्थानान्तरित किया गया, जिसकी स्थिति 31-3-79 को निम्न प्रकार है :-

कर्मचारियों के 120 खाते 1963 से महापालिका में अपूर्ण थे जिसमें से 21 खातों का अन्तिम भुगतान कर दिया गया । 87 खाते तैयार किये जा चुके हैं । सितम्बर, 1977 तक की पोस्टिंग पूर्ण कर दी गयी है ।

3- धीमी प्रगति होने का प्रमुख कारण स्टाफ की कमी है । जिसके लिये भविष्यनिधि एवं पेन्शन का अलग सेल बनाने तथा उसके स्टाफ के लिये अनुसूचा उपसमिति के सामने रखी गयी है ।

4- 30.9.79 तक कार्य पूरा करने का प्रयत्न किया जायगा ।

- : 0 : -

दीक्षित/-

टि प णी

=====

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 विषय स029 शमन शूल्क के निर्देशा लागू किये जाने के सन्दर्भ में लिये गये निर्णय के अनुसार दो-सदस्यीय समिति की आख्या पर विचार ।

XXXXXXXXXX

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 के आइटम स0: 29 पर यह निर्णय लिया गया था कि इस सम्बन्ध में दो सदस्यीय एक समिति बनायी जाये जिसमें उपाध्यक्षा, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं मुख्य ग्राम नियोजक, उ0प्र0सदस्य हों और प्रस्तावों पर अन्य प्राधिकरणों के द्वारा अपनाये गये शमन शूल्कों को अध्ययन कर प्रस्तावित शमन शूल्क की दरों को अन्तिम रूप देंगे ।

अतः उक्त सन्दर्भ में समिति की बैठक दिनांक 23-12-77 को साथे हुई जिसमें अन्य प्राधिकरणों द्वारा अपनाये गये शमन शूल्क का अध्ययन किया गया था मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तावित शमन-शूल्क भी देखे गये । विचार विमर्श के उपरान्त शमन शूल्क की जो दरें प्रस्तावित की गयी हैं, वह सैलग्न प्रपत्र पर प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

SCHEDULE OF COMPOUNDING TO BE CHARGED FOR UN-AUTHORISED CONSTRUCTION

- GENERAL: 1. Prescribed Authority can refuse to compound any case of unauthorised construction.
 2. The following category of unauthorised constructions shall not be compounded.
 3. Any construction not in conforming of the land use proposal contained in the Master plan of Area.
 4. On Government of Public Land.
 5. On the first floor of construction with in the prescribed side and near set backs which have been compounded earlier.

DEFENITIONS:-

Applied: Means applied on the prescribed from to the authority in a prescribed manner, supplying the informations required by the authorised applicant.

Waited: Means to wait for the reply from the office of the prescribed Authority on the application or the reminder after waiting for the prescribed period.

Reminder: Means reminding of the prescribed Authority by written communication selling its attention to the commission or neglect in the desposal of the case within the period under sub section (3) and (4) of section 7 of the R.B.O. Act.

Built up Area : Means the area by the Town and Country Planning Department having more than fifty percent constructed area. But those colonies which were approved earlier by the competent Authority shall not be included in built up area.

C O M P O U N D I N G F E E S

Type of unauthorised	Category 1	Category 2 Applied but not waited or reminded	Category 3 applied and waited but not reminded	Category 4 Applied waited reminded waited thereafter carr- iedout the cons- truction
A. Construction against by Laws & Regulations				

1.(a)

Construction within
the front set back

Ordinary this
construction will
not be compounded
if necessary due
to unavoidable
circumstances Rs.
40/-per Sq.ft.of
the area constr-
ucted with a mini-
mum of Rs.3000/-
plus the cost of
the land

Ordinarily this construction will not be compou-
nded. If necessary due to unavoidable circum-
stances Rs. 40/-per Sq.ft. of the area constructed
with a minimum of Rs. 3000/-plus the cost of
the land.

(b) Construction within
side set back

Rs. 25/-per Sq.ft.of
the area construct-
ed with a minimum of
Rs. 3000/-plus the
cost of land

Rs. 25/-per Sq.ft.
of the area const-
ructed with a mini-
mum of Rs. 3000/-
plus the cost of
land

Rs.25/-per Sq.ft.
of the Area con-
structed with a
minimum of Rs.
3000/-plus the
cost of land

Rs.25/-per
Sq.ft.of
the area
constructed
with a mini-
mum of Rs.
3000/-plus
the cost of
the land.

(c) Rear set Back.

Rs. 20/-per Sq.ft.
of the area const-
ructed with a mini-
mum of Rs. 3000/-
plus the cost of
the land.

The fee will be
half of the pre-
scribed fee for
minilar type of
unauthorised con-
struction in
category I plus
a fine Rs. 500/-
for not waiting
and reminding the
prescribed Auth-
ority.

The fee willbe
half of the pr-
-escribed for
similar type
of unauthorise-
-d constructi-
on in category
I plus a fine
of Rs. 300 for
not reminding
the prescribed
authority and
not waiting for
prescribed per-
iod.

The fee will
be $\frac{1}{2}$ of the
prescribed
fee for a
similar type
of unauthor-
ised constr-
uction in
category 1.

2.	If the plot coverage is more than the prescribed coverage.	Rs. 20/-per sqft.of the area exceeding the prescribed limits plus cost of land.	-do-	-do-	-do-
3.	If the height inside the room is less than the prescribed height.	Rs. 16 per Sq.ft.of the area of the room.	-do-	-do-	-do-
4.	If the width of the room is less than the prescribed area	Rs. 20/-per Sq.ft. for the area by which the room is less than prescribed area.	-do-	-do-	-do-
5.	If the width of the room is less than the prescribed	Rs. 20/-per Sq.ft. of the area of strip required to bring the width of the room to the prescribed limits.	-do-	-do-	-do-
6.	Room does not have minimum ventilated prescribed.	Rs. 5/-per Sq.ft.of the xxxx area of the room.	-do-	-do-	-do-
7.	Construction according to byelawa and regulations but the applicant has not followed clause 15(1) U.P.Urban Planning & Development Act 1973.	A fine of Rs.1000/- for not applying.	Rs.750/-as fine	Rs. 500/- as fine	-N i l -

Contd..

8. Any other deviation not mentioned in the above categories.
- | | | |
|---|--|--|
| Ordinarily such deviation will not be compounded. It necessary due to to unavoidable circumstances Rs.25 per Sq. ft.with minimum of 3000/-will be charged for for such deviation. | Ordinarily such deviation will not be compounded if necessary due to unavoidable circumstances Rs. 25/-per Sq.ft.with minimum of Rs. 3000/-will be charged for such deviation. | Ordinarily such deviation will not be compounded. If necessary due to unavoidable circumstances Rs. 25/-per Sq.ft.with minimum of Rs. 3000/- will be charged for such deviation. |
|---|--|--|
-

- NOTE: 1. Construction different from approved plans shall be treated as not applied.
2. If unauthorised construction falls in more than one type of unauthorised construction, the compounding fee be charged separately for every offences.
3. Projection on public and Government land shall not be compounded in any circumstances.

M/R ***

:: आ रु या ::
=====

छितवापुर व्यवसायिक प्रतिष्ठान
=====

विकास प्राधिकरण के निर्णयानुसार छितवापुर व्यवसायिक प्रतिष्ठान की आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिये एक अखिल भारतीय प्रति-योगिता का आयोजन किया गया था। कुल प्राप्त 10 डिज़ाइनों में से दिनांक 15-4-79 को उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में गठित "जूरी" ने श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव को प्रथम पुरस्कार विजेता घोषित किया।

2- अग्रेतर कार्यवाही के लिये दिनांक 28-4-79 को विकास प्राधिकरण की बैठक के प्रस्ताव संख्या 4 के अनुसार एक उप-समिति का गठन किया गया है। यह समिति केन्द्र के निर्माण हेतु टेण्डर जारी करने तक का आवश्यक निर्णय लेगी तथा आर्किटेक्ट के पर्यवेक्षण पर आवश्यक रिपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

3-

उप-समिति की बैठक दिनांक 24-5-79 को अपरान्ह 3-15 पर विशेष सचिव, आवास उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "योजना के निर्माण के लिये निम्न आवश्यक स्टेजेज़ के कार्य के अलग-अलग तथा संयुक्त रूप से रेट्स ज्ञात करने के लिये टेन्डर्स मांग लिये जायें :-

- 1- प्रारम्भिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन तैयार करना।
- 11- बिन्दु 1 के बाद निर्माण हेतु टेण्डर मांगने से पूर्व तक के समस्त कार्य।
- 111- निर्माण कार्य के दौरान पर्यवेक्षण।

4- अब इस सम्बन्ध में श्री जे0एम0बेनजामिन, सचिव, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन जो "जूरी" के एक सदस्य थे का पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने सूचित किया है कि इस प्रकार से टेन्डर मांगना नियमानुकूल न होगा। श्री बेनजामिन व प्रथम पुरस्कार प्राप्त आर्किटेक्ट के पत्र प्रस्तुत हैं।

5- विकास प्राधिकरण के समक्ष विषय आदेशार्थ एवं मार्ग निर्देशान हेतु प्रस्तुत है।

x=x=x=x=x=x=x=x

दिनांक 4-7-79 को 10-00 बजे तहसील विकास प्राधिकरण में हुई
तहसील विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्य - विवरण

=x=:1000!:=x=

उपस्थित :

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1- | श्री पी०पी०ठा ल्हा | आयुक्त तहसील मण्डल एवं अध्यक्ष
तहसील विकास प्राधिकरण । |
| 2- | श्री डी०एन०श्री वास्तव | संयुक्त सचिव, आवास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन । |
| 3- | श्री त्रिवेणी सहाय | उप सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन । |
| 4- | श्री जे०पी०दुबे | मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश । |
| 5- | श्री अ०पी०विश्वोई | महाप्रबन्धक, प्रकल्प एवं नियोजक । |
| 6- | श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम | सदस्य, तहसील विकास प्राधिकरण । |
| 7- | श्री करुणा शंकर बाजपेयी | सदस्य, तहसील विकास प्राधिकरण । |
| 8- | श्री एम०ए०तारी | सदस्य, तहसील विकास प्राधिकरण । |
| 9- | श्री बी०के०चतुर्वेदी | उपाध्यक्ष, तहसील विकास प्राधिकरण । |

अन्य उपस्थित :

- | | | |
|----|-------------------------|-------------------------------|
| 1- | श्री सुरेन्द्र पात गौड़ | सचिव, तहसील विकास प्राधिकरण । |
|----|-------------------------|-------------------------------|

विषय संख्या - 1 : तहसील विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-4-79
के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

प्रारित प्रस्ताव : दिनांक 28-4-79 की बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण
विम्व संशोधन के साथ किया गया :-

विषय संख्या 10 पर डा०ट डबल के प्रू-मि अर्जत के सम्बन्ध में यह
निर्णय सूचित किया गया था " डा०ट डबल की प्रू-मि अर्जत से मुक्त न की जाये
परन्तु उन्हे अतीर्ण संज्ञा में ही उपलब्ध ले-आउट के अनुसार उपयुक्त आकार
का एक प्लान नियमानुसार आविर्तित किया जाय" ।

इस विषय पर श्री निगम, श्री बाजपेयी एवं श्री तारी द्वारा यह
कहा गया कि डा०ट डबल को उन्ही प्रू-मि का 25% विकसित प्रू-मि नियमानुसार
आविर्तित किये जावे का निर्णय लिया गया था ।

विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में दो
विन्दुओं पर आठवा अंतिमी मीटिंग में प्रस्तुत की जाये जिसके बाद मामले में फैसला
किया जायेगा :-

क : क्या डा०ट डबल को महापत्तिका के उस प्रस्ताव ,जिसके अनुसार कुछ
व्यक्तियों को उन्ही प्रू-मि का 25% आविर्तित किया गया है, के
अनुसार प्रू-मि का आवन्त किया जा सकता है ?

ख : ज्ञात किया जाये कि डा०ट डबल के पास कोई प्रू-मि या अपना मकान
तहसील शहर में है या नहीं तथा डा०ट डबल को प्रू-मि आवन्त से
अर्बन सी लिंग ऐक्ट के प्राविधानों का उत्तरोत्तर तो नहीं होता ?

विषय संख्या- 3 : विभिन्न योजनाओं का प्रगति विवरण

पारित प्रस्ताव : अवतोकनोपरांत निर्णय हुआ कि भाविष्य में बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भावितिक लक्ष्यों के विरुद्ध क्वाटर्ली प्रगति रिपोर्ट इम्प्लूव्ड परफार्मेंस में प्रस्तुत की जाये ।

विषय संख्या- 4 : नेहरु नगर, अम्बेदकर नगर तथा इन्द्रा पुरी आदि के विस्थापितों को 600 वर्ग फुट भूमि पर भावन-चित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा प्रस्तुत राय जो निम्न प्रकार थी, का अनुमोदन किया गया :-

" उपरोक्त स्थात पर निर्मित भावनों को नियमित करने के सम्बन्ध में मेरे विचार से जो सरकारी लेन प्रस्तावित की गई है उसको कायम रक्खा जाये तथा सरकारी लेन पर निर्मित छज्जे को तोड़ दिया जाये । इसके अतिरिक्त आर०बी०ओ०एक्ट के प्राविष्टानों के विपरीत जो निर्माण किये जा चुके हैं उन्हें शामिल-शुल्क लेने के उपरांत शामिल कर दिया जाये । भाविष्य में नियमित करने के लिये निर्माण आर०बी०ओ० एक्ट के प्राविष्टानों के अनुसार ही उसके लिये उचित व्यवस्था की जाये ।"

विषय संख्या-5 : तातकटोरा रोड पर स्थित भूखण्ड संख्या 4 का ल्हाबक महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : प्रश्न गत प्लॉट के पास के भूखण्ड, जिसपर पेट्रोलपम्प बना हुआ है, के बारे में विस्तृत आख्या प्रस्तुत की जाये कि इसका भू-उपयोग परिवर्तन तथा तीजु की शर्तों का परिवर्तन किन परिस्थितियों में किया गया । क्या ऐसे कोई और भी प्रेसीडेन्स इसी इलाके के हैं ?

विषय संख्या-6 : ल्हाबक विकास प्राधिकरण में पारित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 30-11-78, नजूल सम्बन्धी मामलों पर मनोनीत उप-समिति की एक बैठक जो उपाध्यक्ष महोदय के कक्षा में दिनांक 6-2-79 को हुई, बैठक की कार्यवाही ।

पारित प्रस्ताव : उप-समिति की सिफारिशों से सहमति प्रकट की गई । नजूल की सम्पत्ति के मैनेजमेन्ट की स्थिति काफ़ी गम्भीर है जिसके बारे में चिन्ता प्रकट की गई, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण की ओर से अतिरिक्त आवश्यक स्टाफ़ की नियुक्ति करके नजूल प्राप्ती के सर्वे का कार्य तुरन्त प्रारम्भ करा दें तथा शासन को तदनुसार सूचित कर दें ।

विषय संख्या -7 : नवयुग कन्या विद्यालय, राजेन्द्र नगर को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार किसी भी पहा को सड़क की भूमि का आवंटन किया जाना उचित नहीं होगा । अतः नवयुग कन्या विद्यालय, राजेन्द्र नगर का सड़क की भूमि के आवंटन का प्रार्थना-पत्र विरस्त किया जाये ।

- विषय संख्या- 8 : प्राधिकरण के अधिकारियों को विभागीय वाहनों के व्यक्तिगत प्रयोग में लाने की अनुमति के सम्बन्ध में ।
- पारित प्रस्ताव : प्राधिकरण के अधिकारियों को विभागीय वाहन को व्यक्तिगत प्रयोग में लाने की अनुमति शासनादेश सं 3045/टी/तीस-4-4 जे वी-77 दिनांक 1 जून 1977 के अनुसार दी जाये ।
- विषय संख्या -9 : श्री भार्गव द्वारा दिये गये प्रूछाण्ड के प्रीमियम में 50% छूट का आवेदन ।
- पारित प्रस्ताव : प्रश्नगत प्रूछाण्ड के प्रीमियम में 50% छूट के आवेदन को अस्वीकार किया गया ।
- विषय संख्या-10 : तखानऊ के विभिन्न पार्कों में ओपेन-एयर रेस्तराँ के लिये स्पेस स्थान का आवंटन ।
- पारित प्रस्ताव : विस्तृत आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये ।
- विषय संख्या- 11 : तीन वर्ग से अधिक दैनिक वेतन पर कार्यरत डाफ्टमैन एवं ट्रेसर की रेगुलर नियुक्ति के सम्बन्ध में ।
- पारित प्रस्ताव : श्री गोविन्द सिन्हा तथा श्री हसीबुद्दीन को शौहात-योग्यता में छूट देकर अप्रशिक्षित वेतन मान में पहले से सृजित डाफ्टमैन के । पद तथा ट्रेसर के । पद के विरुद्ध तैवाती की जाये ।
- विषय संख्या-12 : तखानऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं के लिये भावनों एवं प्रूछाण्डों हेतु "हडको" से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।
- पारित प्रस्ताव : विम्ब तातिका में दिये हुए भावनों तथा प्रूछाण्डों के लिये हडको को ऋण- आवेद पत्र प्रस्तुत किये जायें ।
- | योजना का नाम | एनओआइओजीओ भावनों की सं० | इंडस्ट्रिएस भावनों की सं० | वाइट एवं सर्विस प्रूछाण्डों की सं० |
|------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| अलीगंज योजना | 200 | 500 | 800 |
| कानपुर रोड योजना | 200 | 200 | 500 |
| मोती झील योजना | - | 448 | 300 |
- विषय संख्या -13 : हाता रसूल छाँ योजना में उत्तर प्रदेश जलनिगम को जलाशय के निर्माण हेतु भूमि का दिया जाना ।
- पारित प्रस्ताव : विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में भूमि छोड़े जाने तथा विस्थापितों के पुर्नवास हेतु विस्तृत ग्राइड लाइन्स तैयार की जायें । एक उप-समिति जिसके सदस्य उपाध्यक्ष, श्री एमएलए, श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम हों, यह कार्य करेगी और प्राधिकरण के सामने अपनी सिफारिशें रखेगी ।
- विषय संख्या-14 : अलीगंज योजना में तीज-रेट के निर्धारण के सम्बन्ध में ।
- पारित प्रस्ताव : विषय स्थगित किया गया ।

विषय संख्या-15 : प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं/वास्तुविन्दों नियोजकों को पोस्ट ग्रेजुएट एलाउन्स दिया जाता :

पारित प्रस्ताव : प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं, वास्तुविन्दों, नियोजकों को इन्सेन्टिव के रूप में राज्य सरकार के विभागों की तरह पोस्ट-ग्रेजुएट एलाउन्स रु 100/- दिया जाये ।

विषय संख्या-16 : 11 शहर के मध्य विभिन्न स्थलों पर प्रस्तावित योजना हेतु भूमि का अर्जन ।

विषय संख्या-16 : 12 मोती झील आवास योजना

पारित प्रस्ताव : उक्त योजना जिसका क्षेत्रफल 38.5 एकड़ है, को आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति दी जाती है । योजना का नाम " मोती झील आवास योजना " रखा जाये ।

विषय संख्या-16 : 13 गोमती आवास योजना

पारित प्रस्ताव : गोमती आवास योजना, जिसका क्षेत्रफल बीघा 123-15-12-15 है की, भूमि को भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति दी जाती है ।

विषय संख्या-16 : 14 सिल्वर जुबिली हेल्थ स्कूल के पीछे छाती पड़े भूखण्ड पर आवासीय योजना ।

पारित प्रस्ताव : गीरतकी मीर रोड के समीप एवं चौधारी गढ़ैया की आवादी से मिले भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल बीघा- 12-5-7-1 है को आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या-16 : 15 ए०पी०सेव रोड स्थित सवैया चारबागु योजना के बज्र भूखण्ड संख्या 4 पर आवासीय-योजना ।

पारित प्रस्ताव : ए०पी०सेव रोड स्थिति सवैया, चारबागु, क्षेत्रफल 61,200 वर्ग फुट भूखण्ड संख्या 4 के तीज राइट्स भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित कर आवासीय योजना बनाई जाये । इसमें तत्काल विकास प्राधिकरण के गेस्ट हाउस का भी प्राविष्टान्न रखा जाये ।

विषय संख्या-16 : 16 अलीगंज सब्जी मण्डी योजना

पारित प्रस्ताव : अलीगंज सब्जी मण्डी के तिये रेलवे लाइन एवं योजना की एप्रोच रोड के बीच प्रस्तावित क्षेत्रफल 34,062 वर्ग फुट की भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या-16 : 17 जनपथ मार्केट योजना

पारित प्रस्ताव : जनपथ मार्केट योजना के तिये बहुखण्डी भावन की एप्रोच रोड हेतु प्रस्तावित 2,532 वर्ग फुट भूमि के तीज राइट्स भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति दी जाती है ।

विषय संख्या-16 : 18 कान्यकुब्ज कालेज के सामने की भूमि पर विकास योजना

पारित प्रस्ताव : कान्यकुब्ज कालेज के सामने की सड़क एवं स्टेशन रोड के बीच की भूमि जिसका क्षेत्रफल लगभग 5-13-9-3 बीघा है को आवासीय-व्यवसायिक योजना हेतु भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या-17 हाता राती साहवा गन्दी बस्ती पुनार योजना के अन्तर्गत श्री डाटिक पंचायत की भूमि अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : विषय संख्या 13 "हाता रसूल छाँ योजना " के अधीन गठित उप-समिति की रिपोर्ट आने पर विचार किया जायेगा ।

विषय संख्या -18

तत्काल विकास प्राधिकरण के भावनों के ठिंराये की बैठक द्वारा वसूली ।

पारित प्रस्ताव :

अनुमोदन किया गया । यह बात साफ़ की गई कि इससे कोई हारवा नहीं होगा ।

विषय संख्या : 19

मोती सीत आवास योजना में प्रस्तावित 264 अल्प आय वर्ग के भावनों में से 60 का निर्माण कार्य ।

पारित प्रस्ताव :

विषय स्थापित किया गया ।

विषय संख्या- 20

अभियन्त्रण डाण्डों के तिये चार जीपों के क्रय एवं उनके तिये ड्राइवरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव :

चार डीजल जीप क्रय करने की तथा चार ड्राइवरों के

पदों के पुनव की अनुमति प्रदान की जाये । पहले से ही हारी की जीपों के प्रयोग को रेशनताइजु किया जाये ।

विषय संख्या- 21

प्राधिकरण के कर्मचारियों के आविषयविधि के पुराने लेकों को पूर्ण करना ।

पारित प्रस्ताव :

विषय स्थापित किया गया ।

विषय संख्या - 22

तत्काल विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77

विषय संख्या 29 शतमल शुल्क के विदेश ताबू किये

जाबे के सम्बन्ध में तिये गये निर्णय के अनुसार दो

सदस्यीय समिति की आख्या पर विचार ।

पारित प्रस्ताव :

विषय स्थापित किया गया ।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :-

" छितवापुर व्यवसायिक प्रतिष्ठान "

पारित प्रस्ताव :-

छितवापुर व्यवसायिक प्रतिष्ठान की प्रस्तुत आख्या

पर विचार विमर्श के बाद निर्णय हुआ :-

- 1- एक उप-समिति जिसमें उपाध्यक्ष, मुख्य ग्राम एवं नगर वियोजक, श्री ज्ञानेन्द्र नाथ वियम एवं वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिविधि होंगे, दिनांक 15-4-79 को प्रथम पुरस्कार विजेता से रेड्स के बारे में विगोशियेशन करें तथा अन्य संस्थाओं द्वारा दिये गये रेड्स का तुलनात्मक अध्ययन करके रेट विद्यार्रण करें ।
- 2- न्यायालय से प्राप्त स्थापन आदेश को विरस्त कराने की कार्यवाही तुरन्त की जाये ।

ह0 पी0पी0ठा न्ना

15-7-79

। पी0पी0ठा न्ना ।

आयुक्त तत्काल मण्डल एवं

अध्यक्ष

तत्काल विकास प्राधिकरण